## विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय,
## मध्य प्रदेश, भोपाल

### आदेश

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) को भारत सरकार द्वारा महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है।

विश्व के अनेक देशों में इस बीमारी के फैलने से रोकथाम हेतु Lock Down किया गया है तथा भारत देश में भी जनता के सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या में एकत्रित होना, सार्वजनिक कार्यक्रमों, यात्राओं पर Restriction को लागू किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुये दिनांक 15.03.2020 को राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल तथा सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, आंगनवाडियॉ, अधिकारिक यात्रायें, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च,2020 तक स्थगित किया गया है।

अतः इस गंभीर बीमारी से उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था संबंधित परिस्थितियों से निपटने के लिये एवं उपाय हेतु श्री डी0श्रीनिवास वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग से एवं राज्य शासन के अन्य विभागों से निरन्तर संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

**(पुलिस महानिदेशक, मप्र द्वारा आदेशित)**

19.03.20

(डॉ एस.डब्ल्यू. नकवी)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांकः विशा/6/इको/2020–8/150 भोपाल, दिनांक 19 /03/2020

प्रतिलिपिः कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश।
4. समस्त समस्त अति0पुलिस महानिदेशक, म0प्र0
5. समस्त पुमनि, जोन/पुमनि रेल, मध्य प्रदेश।
6. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक/पु0अ0 रेल, मध्य प्रदेश।
8. समस्त सेनानी, विसबल, मध्य प्रदेश।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, म0प्र0।
10. समस्त जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, म.प्र.।
11. निज सहायक, पुलिस महानिदेशक, म.प्र.।

19.03.20

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल

गोपनीय
क्रमांकः– विशा/6/ईको/2020–8 ( 157 ) विशेष शाखा मध्यप्रदेश भोपाल
दिनांक - 22.03.2020

प्रति,

**उप पुलिस महानिरीक्षक,**
(शहर) भोपाल एवं इंदौर म0प्र0।

**समस्त पुलिस अधीक्षक,**
मध्यप्रदेश।

**समस्त सेनानी,**
विसबल, मध्यप्रदेश।

**समस्त पुलिस अधीक्षक,**
रेल, मध्यप्रदेश।

विषयः– COVID-19 के संबंध में जारी नियमों के पालन हेतु चेकलिस्ट।

----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि COVID-19 के संबंध में Prevention एवं Monitoring हेतु अपने जिलों में कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. **गैर–आवश्यक सेवाओं के संचालन पर पूर्ण और आंशिक प्रतिबंध।**
   (अ) प्रतिष्ठान
   (ब) गतिविधियाँ
   (स) आवागमन
2. आंशिक प्रतिबंध के समुचित क्रियान्वन हेतु बाजार/व्यापारी संघों के साथ अग्रिम संपर्क।
3. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था, जैसे सब्जियां, फल, दूध, दवाएं आदि सुनिश्चित करना।
4. खाद्य पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों के परिवहन में बाधा उत्पन्न न हो।
5. **नामांकित अधिकारियों को विशिष्ट कार्यों और कर्त्तव्य आवंटित किया जाना।**
   - आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता, जैसे भोजन (मंडियाँ/फ्लोर मिल्स/चक्कियाँ आदि), दूध, दवाएँ, अस्पताल, मीडिया संचालन आदि।
6. **Containment जोन के क्रियान्वन के लिए एसओपी**
   - क्रियान्वन हेतु एसआई/एएसआई, संबंधित राजस्व/स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ कार्य करें।
7. **जिला पुलिस नियंत्रण कक्षों का सुदृढ़ीकरण**
   - अद्यतन किए जाने वाले फोन नंबरों की सूची।
   - अन्य विभागों के प्रतिनिधि, जैसे स्वास्थ्य/नगर निगम, Control room की **बैठक में सम्मिलित** हो।
   - राजपत्रित पुलिस अधिकारी 24/7 उपलब्ध रहे (शिफ्ट ड्यूटी का रोस्टर तैयार व जारी किया जाए)

8. किसी भी अप्रवासी भारतीय (NRI)/विदेशी की जानकारी हेतु होटल और लॉज आदि की जाँच की जाए।

9. कार्यालय का संचालन 50% बल संख्या से किया जाए, रोस्टर बनाया जाए।

10. शहरों और गांवों में होम क्वारंटाइन और आंशिक लॉक डाउन को क्रियान्वित करने हेतु सेक्टर अधिकारियों को नामांकित किया जाए।

11. डीएम/एसपी/एसएसपी/सिविल सर्जन की दैनिक बैठक सुबह 10 बजे की जाए।

12. नियत समय पर दैनिक प्रेस ब्रीफिंग की जाए।

13. नागरिकों के प्रश्नों के सामाधन हेतु जिलों में सार्वजनिक कॉल सेंटर संचालित किया जाए।

14. समस्त पीसीआर वैन में लाउडस्पीकर लगाया जाए।

15. लाउडस्पीकर के साथ वैन तैयार स्थिति में रखा जाए।

16. विदेश से लौटे व्यक्तियों/एनआरआई का सत्यापन
    - डीएम और एसपी इस कार्यवाही हेतु एक राजस्व अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी नियुक्त करें।
    - 03 मापदण्ड– नाम, पासपोर्ट विवरण, पता तथा फोन नम्बर।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

कमांकः– विशा/6/ईको/2020–8 ( 157-A ) दिनांक - 22.03.2020
प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–.**

1. समस्त जोनल अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
2. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, म0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा म0प्र0।
4. निस–पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश।
5. अति0 पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, म0प्र0।
6. प्रभारी–राज्य स्थिति कक्ष, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश